आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: nssccераj@gmail.com Ph.: 8209357575

क्रमांकः एफ.8(8)विविध/एनएसएस/आकाशि/2022/553-55 दिनांकः ~~सितम्बर~~ 4 अक्टूबर 2023

जिला समन्वयक,
(सम्बन्धित जिला)
राजस्थान।

विषय :– चेतावनी पत्र।

सन्दर्भः–विभाग के समसंख्यक पत्र कमांक एफ.8(28)बजट/एनएसएस/ आकाशि/2022/ 843–47 दिनांक 10 नवम्बर, 2022, 965–67 दिनांक 16 जनवरी, 2023, 370243 दिनांक 26 अप्रेल, 2023, पत्र दिनांक 27.06.2023, स्मरण पत्र कमांक 168, 169 दिनांक 05 जून, 2023 एवं कारण बताओ नोटिस कमांक 426–27 दिनांक 18.08.2023.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कृपया सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से आपको समय समय पर सूचित करते हुए आपके अधीन महाविद्यालयों में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों से सम्बन्धित निम्नांकित वांछित सूचना चाही गई थी --

1. बजट का उपयोगिता प्रमाण–पत्र।
2. वार्षिक रिपोर्ट।
3. सात दिवसीय स्पेशल कैम्प की सूचना।
4. त्रैमासिक सूचना।
5. मंथली सूचना।
6. महाविद्यालय में पंजीबद्ध स्वयं सेवक एवं सेविकाओं की सूचना।
7. सात दिवसीय स्पेशल कैम्प में भाग लेने वाले स्वयं सेवक/सेविकाओं के प्रमाण पत्र हस्ताक्षर हेतु भिजवाना।

प्रायः देखा गया है कि विभाग द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित दिये गये आदेशों/निर्देशों की सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा अक्षरशः पालना नहीं की जा रही है और चाही गई सूचना भी समय पर उपलब्ध नहीं करवाने के कारण आपको सम्बन्धित जिले का जिला समन्वयक नियुक्त कर निर्देशित किया गया था कि आपके अधीन राजकीय/निजी महाविद्यालयों में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजनान्तर्गत विभाग द्वारा जारी वार्षिक कैलेण्डर एवं समय समय दिये गये आदेशों/निर्देशों की अक्षरशः पालना करवायेंगे, परन्तु आपने ऐसा नहीं किया। जिससे यह सिद्ध हो रहा है कि आप अपने कृतव्य के प्रति उदासीन एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों/निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं।

विभाग द्वारा आपको कारण बताओ नोटिस जारी कर उपरोक्त वर्णित सूचनाएं दिनांक 25.08.2023 तक पत्र वाहक के माध्यम से उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित करने के उपरान्त भी कई महाविद्यालयों ने सूचना समय पर उपलब्ध नहीं करवायी गयी तथा भेजी गई सूचना निर्धारित परिपत्र में एवं सन्तोषप्रद नहीं थी।

अतः भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, आपको चेतावनी पत्र जारी करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में राजकीय/निजी महाविद्यालयों में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की वार्षिक कैलेण्डर के अनुसार अक्षरशः एवं समय समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

प्रतिलिपि –

वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज, शिक्षा राजस्थान, जयपुर को अपलोड हेतु।
संयुक्त निदेशक (एचआरडी) आयुक्तालय को सम्बन्धित जिला समन्वयक की सूची संलग्न भेज कर लेख है कि कारण बताओं एवं चेतावनी पत्र की एक प्रति सम्बन्धित जिला समन्वयक की व्यक्तिगत पत्रावली में संधारित करें।

भवदीय,

(सुनील शर्मा)
आयुक्त

Signature valid
Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.10.03 22:22:17 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4822738

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website http //hte rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: nsscceraj@gmail.com Ph.: 8209357575

क्रमांकः एफ.8(8)विविध/एनएसएस/आकाशि/2022/550-52 दिनांकः ~~सितम्बर~~ 4 अक्टूबर, 2023

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
(एन.एस.एस. से सम्बन्धित)
राजस्थान।

विषय :– चेतावनी पत्र।
सन्दर्भः– विभाग के समसंख्यक पत्र कमांक एफ.8(28)बजट/एनएसएस/आकाशि/2022/843–47 दिनांक 10 नवम्बर, 2022, 965–67 दिनांक 16 जनवरी, 2023, 370243 दिनांक 26 अप्रेल, 2023, पत्र दिनांक 27.06.2023, स्मरण पत्र कमांक 168, 169 दिनांक 05 जून, 2023 एवं कारण बताओ नोटिस कमांक 426–27 दिनांक 18.08.2023.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कृप्या सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से आपको समय समय पर सूचित करते हुए आपके महाविद्यालय में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों के सम्बन्ध में निम्नांकित वांछित सूचना चाही गई थी –

1. बजट का उपयोगिता प्रमाण–पत्र।
2. वार्षिक रिपोर्ट।
3. सात दिवसीय स्पेशल कैम्प की सूचना।
4. त्रैमासिक सूचना।
5. मंथली सूचना।
6. महाविद्यालय में पंजीबद्ध स्वयं सेवक एवं सेविकाओं की सूचना।
7. सात दिवसीय स्पेशल कैम्प में भाग लेने वाले स्वयं सेवक/सेविकाओं के प्रमाण पत्र हस्ताक्षर हेतु भिजवाना।

प्रायः देखा गया है कि विभाग द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित दिये गये आदेशों/निर्देशों की अक्षरशः पालना महाविद्यालय में आप द्वारा नियुक्त कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नहीं करवायी जा रही है और चाही गई सूचना भी आप द्वारा समय पर उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं जिससे यह सिद्ध हो रहा है कि आप अपने कृतव्य के प्रति उदासीन एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं।

सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से आपको बार बार सूचित करने एवं स्मरण पत्र जारी करने के उपरान्त भी राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित सूचना आप द्वारा समय समय पर उपलब्ध नहीं करवाने के कारण विभाग द्वारा आपको कारण बताओ नोटिस जारी कर उपरोक्त वर्णित सूचनाएं दिनांक 25.08.2023 तक पत्र वाहक के माध्यम से उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित करने के उपरान्त भी कई महाविद्यालयों ने सूचना समय पर उपलब्ध नहीं करवायी तथा भेजी गई सूचना निर्धारित परिपत्र में एवं सन्तोषप्रद नहीं थी।

अतः भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, आपको चेतावनी पत्र जारी करते हुए निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीय सेवा योजना की वार्षिक कैलेण्डर के अनुसार अक्षरशः एवं समय समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

प्रतिलिपि –

वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज, शिक्षा राजस्थान, जयपुर को अपलोड हेतु।
संयुक्त निदेशक (एचआरडी) आयुक्तालय को भेज कर लेख है कि कारण बताओं एवं चेतावनी पत्र की एक प्रति सम्बन्धित प्राचार्य की व्यक्तिगत पत्रावली में संधारित करें।

भवदीय,

Signature valid
(सुचि शर्मा)
आयुक्त
Digitally signed by Suchi Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.10.03 22:22:17 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4822738